झारखण्ड विधान सभा

झारखण्ड विधान सभा टी.वी. नियमावली, 2021

मार्गदर्शन एवं संरक्षण

श्री रबीन्द्र नाथ महतो

अध्यक्ष

झारखण्ड विधान सभा

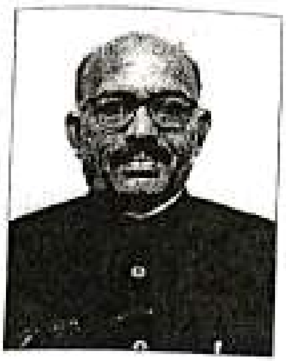

प्रस्तावना

संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में वाद–विवाद और संवाद का अत्यंत ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसमें अंतिम संप्रभु देश और राज्य की जनता अपने जन–प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन का संचालन करती है उसकी सार्थकता संवाद की परिधि बढ़ाये जाने से ही साकार हो सकती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए झारखण्ड विधान सभा टी0वी0 को सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर प्रारंभ किया गया। यह व्यवस्था चीरस्थायी हो एवं समय के साथ इसे और अधिक व्यापक बनाया जा सके, इसे ध्यान में रखते हुए झारखण्ड विधान सभा टी0वी0 नियमावली को अभिलिखित किया गया।

दिनांक–30.11.2021 को झारखण्ड विधान सभा टी0वी0 नियमावली 2021 को अधिसूचित किया गया। आशा है कि समय के साथ झारखण्ड विधान सभा टी0वी0 को और अधिक व्यापक एवं उपयोगी बनाने में हम सफल होंगे।

Rmahato

(रबीन्द्र नाथ महतो)

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

संख्या-01स्था०-181/2021-.....2001............/वि०स०। रॉंची,दिनांक-.....30/11/2021

सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह प्रकाशित किया जाता है कि सभा-सचिवालय की अधिसूचना संख्या-01स्था०-170/2021-1111,दिनांक-05-07-2021 के आलोक में गठित प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत झारखण्ड विधान-सभा टी०वी० नियमावली, 2021 के प्रारूप में लोकसभा एवं राज्य सभा के तर्ज पर झारखण्ड विधान-सभा में टी०वी० संचालन हेतु महेश्वर नाथ कौल एवं श्यामलाल शकधर के संसदीय पद्धति और प्रक्रिया के अध्याय-45 के अनुसरण में झारखण्ड विधान-सभा की सामान्य प्रयोजन समिति द्वारा माननीय अध्यक्ष,झारखण्ड विधान-सभा को अधिकृत किये जाने की सहमति एवं अनुशंसा के फलस्वरूप प्रारूप समिति के माध्यम से नियमावली में आवश्यक संशोधन करते हुए यू-ट्यूब चैनल एवं फेस-बुक के प्रसारण एवं नियंत्रण हेतु संलग्न नियमावली *"झारखण्ड विधान-सभा टी०वी० नियमावली,2021"* बनायी जाती है।

माननीय अध्यक्ष,झारखण्ड विधान-सभा के आदेश से,

(सैयद जावेद हैदर) 30-11-2021
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,रॉंची।

ज्ञाप संख्या-01स्था०-181/2021-.....2002............/वि०स०,रॉंची,दिनांक-.....30/11/21.....

प्रति :- प्रधान महालेखाकार,झारखण्ड,हिनू,रॉंची/अपर मुख्य सचिव,योजना सह-वित्त विभाग,झारखण्ड सरकार,रॉंची/प्रधान सचिव,राज्यपाल सचिवालय,रॉंची/प्रधान सचिव,कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग,झारखण्ड सरकार,रॉंची/प्रधान सचिव,मंत्रिमण्डल सचिवालय(संसदीय कार्य) एवं समन्वय विभाग,झारखण्ड सरकार,रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

रंजीत कुमार 30/11/2021
(रंजीत कुमार)
संयुक्त सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,रॉंची।

ज्ञाप संख्या-01स्था०-181/2021-.....2002............/वि०स०,रॉंची,दिनांक-.....30/11/21.....

प्रति :- कोषागार पदाधिकारी,सचिवालय कोषागार,डोरण्डा,रॉंची को सूचनार्थ प्रेषित।

रंजीत कुमार 30/11/2021
संयुक्त सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,रॉंची।

ज्ञाप संख्या-01स्था०-181/2021-.....2002............/वि०स०,रॉंची,दिनांक-.....30/11/21.....

प्रति :- बजट शाखा/स्थापन शाखा (पाँच प्रति में) झारखण्ड विधान-सभा,रॉंची को सूचनार्थ प्रेषित।

रंजीत कुमार 30/11/2021
संयुक्त सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,रॉंची।

ज्ञाप संख्या-01स्था०-181/2021-.....2002............/वि०स०,रॉंची,दिनांक-.....30/11/21.....

प्रति :- अधीक्षक,राजकीय मुद्रणालय,डोरण्डा,रॉंची/नोडल पदाधिकारी(ई गजट),झारखण्ड विधान-सभा को आगामी ई-गजट में झारखण्ड विधान-सभा टी०वी० नियमावली,2021 की प्रति के साथ राजकीय राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि नियमावली की 200 प्रतियाँ सभा-सचिवालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

रंजीत कुमार 30/11/2021
संयुक्त सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,रॉंची।

PRAVEEN

30/11/21

<u>झारखण्ड विधान सभा टी0वी0 नियमावली</u>

प्रदेश की सर्वोच्च विधायी संस्था की गरिमा, सार्थकता, पारदर्शिता, विश्वसनीयता तथा आमजनों के मध्य इसकी कार्यवाहियों के सुगम प्रस्तुति हेतु अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा द्वारा अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश संख्या 1स्था0 166/2021 – 487 दिनांक 05.03.2021 द्वारा झारखण्ड विधान सभा टी0वी0 का अधिष्ठापन किया गया है। इस निमित्त सभा सचिवालय की अधिसूचना सं0 – 1111 दिनांक 05.07.2021 द्वारा झारखण्ड विधान सभा टी0वी0 के प्रसारण एवं नियंत्रण संबंधी नियम के अधिष्ठापन हेतु प्रारूप समिति का गठन किया गया था। उक्त समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप पर दिनांक 06.10.2021 को झारखण्ड विधान सभा के सामान्य प्रयोजन समिति की बैठक में माननीय सदस्य श्री मथुरा प्रसाद महतो के प्रस्ताव " झारखण्ड विधान सभा टी0वी के संचालन/प्रसारण माननीय अध्यक्ष झारखण्ड विधान सभा के मार्गदर्शन में हो, इसलिए झारखण्ड विधान सभा की सामान्य प्रयोजन समिति की ओर से माननीय अध्यक्ष झारखण्ड विधान सभा को अधिकृत किया जाय।" पर सर्वसम्मति से सहमति दी गई। तदनुसार झारखण्ड विधान सभा टी0वी0 के सुगम संचालन हेतु अध्यक्ष झारखण्ड विधान सभा इस निमित्त बनाये गये नियमों को अधिसूचना जारी होने की तारीख से निम्नरूपेण प्रख्यापित करते हैं–

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ**

   1.1 यह नियमावली झारखण्ड विधान सभा टी0वी0 नियमावली, 2021 कहलांयेगी।

   1.2 यह नियमावली अधिसूचित होने की तिथि से प्रवृत होंगें।

2. **परिभाषाएँ**

   इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो

   2.1 **'झारखण्ड विधान सभा टी0वी0 से अभिप्रेत है'**, झारखण्ड विधान सभा के सदन की कार्यवाहियों के प्रसारण, संसद एवं विधान सभा के संसदीय एवं अन्य महत्त्वपूर्ण सूचनाओं के प्रसारण, राज्य, देश एवं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के महत्त्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित, समाचार के प्रसारण, सम–सामयिक मुद्दों, कला संस्कृति, संविधान, संसदीय नियम आदि तथा अन्य महत्त्वपूर्ण विषयों पर परिचर्चा एवं विभिन्न महत्त्वपूर्ण ज्ञानवर्द्धक विषयों पर लघु चित्र, चलचित्र आदि के निर्माण हेतु झारखण्ड विधान सभा का ऐसा मंच जिसका

संचालन उसके संपादक मण्डल द्वारा अध्यक्ष के दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा एवं इसका प्रसारण डिजिटल मीडिया के मंच यथा Youtube, Facebook आदि से किया जायेगा।

2.2 **'अध्यक्ष'** से अभिप्रेत है अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा।

2.3 **'उच्च स्तरीय समिति'** से अभिप्रेत है, झारखण्ड विधान सभा टी0वी0 हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति।

2.4 **'सचिव'** से अभिप्रेत है झारखण्ड विधान सभा के सचिव। इसके अंतर्गत वह व्यक्ति भी शामिल है जो सचिव के कर्त्तव्यों का तत्समय निर्वहन कर रहा है।

2.5 **'प्रसारण समिति'** से अभिप्रेत है झारखण्ड विधान सभा टी0वी0 हेतु गठित प्रसारण समिति।

2.6 **'स्टूडियो'** से अभिप्रेत है झारखण्ड विधान सभा टी0वी0 का स्टूडियो।

2.7 **'कार्यवाही शाखा'** से अभिप्रेत है झारखण्ड विधान सभा की कार्यवाही शाखा।

2.8 **'सामाजिक माध्यम'** (Social Media) से अभिप्रेत है समाज द्वारा अकेन्द्रित रूप से संचालित प्रसार के माध्यम, यथा Facebook, Youtube, Instagram आदि।

2.9 **'संपादक मंडल'** से अभिप्रेत है झारखण्ड विधान सभा टी0वी0 का संपादक मंडल।

2.10 **'जन संपर्क पदाधिकारी'** से अभिप्रेत है झारखण्ड विधान सभा के जन संपर्क अधिकारी।

2.11 झारखण्ड विधान सभा टी0वी0 के साधनसेवी एवं बाह्य श्रोत से अभिप्रत है ऐसे व्यक्ति अथवा एजेंसी जिनकी उनके कार्यकुशलता एवं विशिष्टता के आधार पर झारखण्ड विधान सभा टी0वी0 द्वारा कार्य लिया जाय यद्यपि इस हेतु किसी वित्तीय संबंध अथवा लेन देन का होना आवश्यक नहीं होगा।

<u>परन्तु, यह भी कि</u>

उन शब्दों और पदों का जो इस नियमावली में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है, इसका वही अर्थ होगा जो झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम द्वारा परिभाषित है।

3. **कार्यक्रम निर्माण एवं प्रसारण**

3.1 झारखण्ड विधान सभा टी0वी0 पर प्रसारण हेतु कार्यक्रम के निर्माण एवं संपादन कादायित्वझारखण्ड विधान सभा टी0वी0 के संपादक मंडल की होगी।

3.2 संपादक मंडल, प्रधान संपादक की अध्यक्षता में संचालित की जायेगी एवं आवश्यकतानुसार संपादक मंडल की बैठक आयोजित कर निर्णय लिये जायेंगे।

4. **संपादक मण्डल**

4.1 झारखण्ड विधान सभा टी0वी0 का संपादक मंडल निम्नरूपेण होगा–
संपादक मंडल में प्रधान संपादक, कार्यकारी संपादक, वरिष्ठ निर्माता, निदेशक (तकनिकी) एवं प्रसारण समिति द्वारा नामित एक सदस्य होंगे। अध्यक्ष की अनुमति से संपादक मण्डल में राज्य के कला, खेल, विधि, संस्कृति, शिक्षा, साहित्य, प्रशासन आदि क्षेत्रों में दक्ष किन्हीं दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों को 'मानद संपादक' के रूप में अधिकतम एक वर्ष के लिए अथवा अध्यक्ष झारखण्ड विधान सभा के इच्छा पर्यन्त सम्मिलित किया जा सकेगा।

4.2 मानद संपादकों को कोई प्रतिपूर्त्ति देय नहीं होगा तथापि बैठक में सम्मिलित होने के लिये यात्रा भत्ता देय होगा।

4.3 समिति के निर्णय बहुमत के आधार पर लिये जायेंगे। किसी विषय पर सहमति एवं असहमति मत बराबर का हो तो उक्त विषय पर अंतिम निर्णय प्रधान संपादक की होगी ।

5. **प्रसारण समिति**

अध्यक्ष के आदेश से झारखण्ड विधान सभा टी0वी0 के संचालन की प्रक्रिया के पर्यवेक्षण एवं समन्वय हेतु एक समिति गठित की जायेगी जिसकी अध्यक्षता सचिव, झारखण्ड विधान सभा के द्वारा की जायेगी एवं अध्यक्ष द्वारा नामित संयुक्त सचिव से अन्यून पदाधिकारी तथा विधान सभा के जन संपर्क अधिकारी इसके सदस्य होंगे।

6. **प्रसारण समिति का दायित्त्व**

प्रसारण समिति संपादक मंडल एवं सभा सचिवालय के मध्य सेतु का कार्य करेगी एवं इस कार्य को जनसंपर्क अधिकारी के माध्यम से संपादित करायेगी।

झारखण्ड विधान सभा टी0वी0 से संबंधित नीतिगत एवं वित्तीय मामले प्रसारण समिति के माध्यम से अध्यक्ष को पृष्ठांकित की जायेगी।

7. **उच्च स्तरीय समिति**

झारखण्ड विधान सभा टी0 वी0 से सम्बन्धित सभी प्रकार के नीतिगत विचार विमर्श एवं परामर्श हेतु एक अन्य उच्च स्तरीय समिति होगी।

उच्च स्तरीय समिति के संयोजक एवं सदस्य निम्नवत होंगे–

1.	अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा	—	संयोजक
2.	मुख्यमंत्री, झारखण्ड सरकार अथवा उनके द्वारा नामित अन्य एक मंत्री।	--	सदस्य
3.	अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा द्वारा नामित– झारखण्ड विधान सभा के चार सदस्य।		सदस्य
4.	झारखण्ड विधान सभा टी0वी0 के संपादक	–	सदस्य
5.	अध्यक्ष द्वारा नामित झारखण्ड विधान सभा के संयुक्त सचिव स्तर के पदाधिकारी	–	सदस्य

सचिव, विधान सभा इस समिति के पदेन सचिव होंगे।

8. **प्रसारण का अधिकार एवं Copyright**

8.1 सत्र की कार्यवाही एवं झारखण्ड विधान सभा टी0वी0 द्वारा तैयार किये गये कार्यक्रमों के प्रसारण का संपूर्ण अधिकार झारखण्ड विधान सभा टी0वी0 में निहित होगा एवं किसी अन्य मीडिया प्रतिष्ठान द्वारा कार्यवाही के विडियो फुटेज दिखाये जायेंगे तो उक्त प्रतिष्ठान के लिए प्रसारण के दौरान झारखण्ड विधान सभा टी0वी0 के 617–600 साईज, प्रतीक चिन्ह् (Logo) के प्रदर्शन की बाध्यता होगी। इस नियम का पालन न किये जाने पर सम्बन्धित मिडिया प्रतिष्ठान को झारखण्ड विधान सभा टी0वी0 के प्रसारण की अनुमति रद्द की जाएगी एवं उनके विरूद्ध विधिक कार्रवाई की जा सकती है।

8.2 यह कि अध्यक्ष द्वारा एक्सपंज किये जाने पर भी यदि सीधे प्रसारण में कार्यवाही या कोई भाग प्रसारित हो जाता है तो इसे पुनः संशोधित करने अथवा रोकने का अधिकार झारखण्ड विधान सभा टी0वी0 को होगा एवं तद्नुसार अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा भी संशोधन किया जायेगा।

9. <u>कार्यवाहियों के डिजिटल अभिलेख का संग्रह</u>

कार्यवाहियों की रिकॉर्डिंग के पश्चात् कार्यवाहियों के डिजिटल/विजुअल अभिलेख सी0डी0, डी0वी0डी0 या पैन ड्राइव में संरक्षित कर कार्यवाही शाखा को सौंप दी जायेगी एवं किसी सदस्य अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा माँगे जाने पर किसी विशिष्ट भाषण, वक्तव्य इत्यादि की प्रतिलिपि देने की कार्रवाई झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम के विहित नियमों के अनुरूप कार्यवाही शाखा द्वारा ली जायेगी।

10. <u>झारखण्ड विधान सभा टी0वी0 के साधनसेवी एवं बाह्य श्रोत</u>

10.1 कार्यक्रम क तैयारी एव निर्माण हेतु निर्धारित विषय के विशेषज्ञों को संपादक मण्डल द्वारा साधनसेवी के रूप में चयनित किया जा सकेगा एवं उनसे आवश्यक सहयोग लिया जा सकेगा। साथ ही झारखण्ड विधान सभा टी0वी0 द्वारा अध्यक्ष के आदेश से संगीत, पार्श्व स्वर एवं तकनीकी कार्यों हेतु बाह्य स्रोतों से भी सहयोग लिया जा सकेगा।

10.2 कार्यक्रम में शामिल होने हेतु साधनसेवी को यात्रा भत्ता तथा सम्मान राशि प्रसारण समिति द्वारा निर्धारित दर पर दिया जायेगा।

10.3 साधन सेवी को दिये जाने वाले सम्मान राशि एवं बाह्य स्रोतों से विनिर्दिष्ट सेवा शुल्क के दर का निर्धारण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में प्रसारण समिति द्वारा किया जायेगा एवं इस निमित सरकार के अन्य संस्थाओं यथा श्रीकृष्ण प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, SIRD, न्यायिक प्रशिक्षण संस्थान, दूरदर्शन, आकाशवाणी आदि द्वारा साधनसेवियों को दिये जाने वाले सम्मान राशि के दर का अनुसरण किया जा सकेगा।

10.4 यह कि यदि झाखण्ड विधान सभा सचिवालय अथवा टी0वी0 के कर्मी झारखण्ड विधान सभा टी0वी0 साधनसेवी के रूप में कार्य कर सकेंगे परंतु उन्हें प्रतिमाह केवल दो कार्यक्रमों के निमित्त सम्मान राशि देय होगा।

11. <u>झारखण्ड विधान सभा टी0वी0 की कार्यविधि</u>

11.1 झारखण्ड विधान सभा टी0वी0 का संपादक मण्डल कार्यक्रम के निर्माण एवं प्रसारण के लिए स्वतंत्र होगा, वित्तीय एवं उससे सम्बंधित नीतिगत विषय प्रसारण समिति को पृष्ठांकित की जायेगी एवं प्रसारण समिति अध्यक्ष से आदेश प्राप्त कर इस पर कारवाई करेगी।

11.2 झारखण्ड विधान सभा टी0वी0 से प्राप्त किसी भी आय को सचिव, झारखण्ड विधान सभा के खाते में जमा कराया जाएगा एवं ट्रेजरी चालान के माध्यम से कोषागार में जमा कराया जाएगा।

12. **झारखण्ड विधान सभा टी0वी0 हेतु बजटीय उपबंध**

झारखण्ड विधान सभा टी0वी0 हेतु बजटीय उपबंध विधान मण्डल शीर्ष के अधीन होंगे तथा इसकी निकासी एवं व्ययन झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा की जायेगी।

13. **झारखण्ड विधान सभा टी0वी0 हेतु कार्मिक सहयोग**

13.1 झारखण्ड विधान सभा टी0वी0 के कर्मी संलग्न अनुसूची के आलोक में संविदा के आधार पर एक वर्ष के लिए कार्यरत होंगे।

13.2 संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की झारखण्ड विधान सभा टी0वी अथवा झारखण्ड विधान सभा सचिवालय में नियुक्ति हेतु किसी भी प्रकार का दावा अमान्य होगा।

13.3 आवश्यकता अनुरूप अध्यक्ष के आदेश से विधान सभा सचिवालय द्वारा भी कर्मी उपलब्ध कराये जा सकेंगें।

14. झारखण्ड विधान सभा टी0वी में यथा अनुसूची में वर्णित कार्य हेतु योग्य व्यक्ति की नियुक्ति की पद्धति एवं प्रक्रिया अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।

15. **झारखण्ड विधान सभा टी0वी0 का नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण**

झारखण्ड विधान सभा टी0वी0 अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेगा। इसके स्वरूप एवं कार्यविधि में किसी भी प्रकार का परिवर्त्तन अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से किया जा सकेगा।

16. **अवशिष्ट शक्तियाँ**

ऐसे सभी विषय जिनके संबंध में इस नियमावली में विनिर्दिष्टतः उपबंध नहीं किए गए हों चाहे वे इस नियमावली के उपबंधों के आनुषंगिक या सहायक हों अथवा अन्यथा हों अध्यक्ष द्वारा समय–समय पर दिए जाने वाले आदेशों के अनुसार विनियमित होंगे।

17. **निर्वचन**

इस नियमावली के निर्वचन संबंधी सभी प्रश्न अध्यक्ष को विनिर्दिष्ट किए जाऐंगे और उसपर अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

18. <u>विखण्डन और व्यावृति</u>

इस नियमावली में स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबंधित स्थिति को छोड़, नियमावली के समरूप और नियमावली के प्रारंभ से तुरंत पहले लागू सभी नियम इसके द्वारा विखंडित किए जाते हैं।

परन्तु, इस प्रकार विखंडित नियमों के अधीन दिया गया कोई आदेश या की गयी कोइ कार्रवाई, इस नियमावली के समरूप दिया गया आदेश या की गयी कार्रवाई मानी जाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	पदनाम	शैक्षणिक योग्यता	वेतन	आवश्यकता आधारित कुल पद
1.	Chief Editor (प्रधान सम्पादक)	**Essential.** - Graduate Degree/PG Diploma in Mass Communication/journalism from recognized university/institute - Proficiency in Hindi, English and Other language - At least 20 years of experience in the National or regional news channel National print media and at least 10 years experience in coverage of Parliamentary Proceedings. - Having experience of online setup of any print or electronic media organization/publishing house.	उच्चस्तरीय समिति द्वारा वेतन का निर्धारण	1

2.	Executive Editor	**Essential.** - Graduate Degree/PG Diploma in Mass Communication/journalism from recognized university/institute - Proficiency in Hindi, English and Other language - Upper age limit: 50 years. - 15 years of experience in the National or regional news channel or National print media at Least one Year experience in Coverage of Parliamentary Proceeding . - Having experience of online setup of any print or electronic media organization/publishing house.	**118000/- प्रतिमाह**	**1**

3.	Senior Producer (वरिष्ठ निर्माता)	**Essential.** - Graduate Degree/PG Diploma in Mass Communication/journalism /Film Study from recognized university/institute. - Proficiency in Hindi, English, local language - Upper age limit: 40 years. - At least 10 years of experience in the National or regional news channel/National Print Media	**78800/- प्रतिमाह**	**3**
4.	Correspondent (संवाददाता)	**Essential.** - Graduate Degree/PG Diploma in Mass Communication/journalism from recognized university/institute. - Proficiency in Hindi, English and local language - Upper age limit: 45 years. - At least 5 years of experience in the National or regional news channel/Print Media.	**44900/- प्रतिमाह**	**6**

5.	Senior Anchor (वरीय एंकर)	**Essential** - Graduate Degree/PG Diploma in Mass Communication/journalism from recognized university/ institute. - Proficiency in Hindi, English and local language - Upper age limit: 40 years. - At least 5 years of experience in reporting in Hindi or production in electronic media. - Desirable: At least Five years of experience in anchoring. -	**56100/- प्रतिमाह**	**3**
6.	Producer (निर्माता)	**Essential.** - Graduate Degree/PG Diploma in Mass Communication/journalism /Film Study from recognized university/institute. - Proficiency in Hindi, English and local language - Upper age limit: 45 years Desirable. - At least 7 years of experience in the National or regional news channel.	**44900/- प्रतिमाह**	**6**

7.	Associate producer (सहयोगी निर्माता)	**Essential**. - Graduate Degree/PG Diploma in Mass Communication/journalism /Film Study from recognized university/institute. - Proficiency in Hindi, English and local language - Upper age limit: 40 years. - At least 6 years of experience in the National or regional news channel/ In Reputed Digital/Social Media Platform.	**35400/- प्रतिमाह**	**12**
8.	Assistant producer (सहायक निर्माता)	**Essential**. - Graduate Degree/PG Diploma in Mass Communication/journalism /Film Study from recognized university/institute. - Proficiency in Hindi, English and local language - Upper age limit: 35 years. - At least 3 years of experience in the National or regional news channel/ In Reputed Digital/Social Media Platform.	**29200/- प्रतिमाह**	**12**

9.	Trainee (प्रशिक्षणार्थी)	**Essential.** - Graduate Degree/PG Diploma in Mass Communication/journalism from recognized university / institute. - Proficiency in Hindi, English and local lenguage - Upper age limit: 30 years.	**18000/- प्रतिमाह**	**12**
10.	Researcher (शोधार्थी)	**Essential.** - Post Graduate from a recognized university/institution In Humanities Law and Environmental and Life Science - Upper age limit: 45 years.	**35400/- प्रतिमाह**	**12**

11.	Senoir Video Editor (वरीय विडियो सम्पादक)	**Essential.** - Graduate Degree/PG Diploma in Mass Communication/production/from recognized university/institute. - Proficiency in Hindi and English language - Upper age limit: 40 years - At least 6 years of experience of editing in regional or national or national news channel.	**35400/- प्रतिमाह**	**4**
12.	Video Editor (विडियो सम्पादक)	**Essential.** - Graduate Degree/PG Diploma in Mass Communication/production/from recognized university/institute. - Proficiency in Hindi and English language - Upper age limit: 40 years - At least 4 years of experience of editing in regional or national or national news channel.	**21700/- प्रतिमाह**	**6**

13.	*Senior Graphic designer* (वरीय ग्राफिक डिजाईनर)	**Essential.** - Graduate Degree/PG Diploma in multimedia and animation - Proficiency in Hindi and English language - Upper age limit: 45 yearsDesirable. - At least 6 years of experience in Graphic designing.	**35400/- प्रतिमाह**	**3**
14.	Graphic designer (ग्राफिक डिजाईनर)	**Essential.** - Graduate Degree/PG Diploma in multimedia and animation - Proficiency in Hindi and English language - Upper age limit: 40 years - At least 4 years of experience in Graphic designing.	**21700/- प्रतिमाह**	**3**

15.	Director (Technical) निदेशक (तकनीकी)	**Essential.** - BE/B.Tech. in Electronics and Communications or Electrical or Electronics or M.S. in Electronics from a recognized University/ Institution; - Upper age limit: 45 yearsDesirable. - At least 5 years of experience in handling the technical aspects of a television channel with at least 3 years of experience in a supervisory capacity.	**78800/- प्रतिमाह**	**1**
16.	Broadcast Executive (प्रसारण अधिकारी)	**Essential.** - BE/B.Tech. in Electronics and Communications or Electrical or Electronics or M.Sc. in Electronics from a recognized University/ Institution - Proficiency in Hindi and English language - Upper age limit: 45 years - At least 7 years of experience in handling PCR and Ingest department.	**53100/- प्रतिमाह**	**2**

17.	STUDIO DIRECTOR (स्टूडियो निर्देशक)	**Essential.** - Post Graduate Diploma in TV Film production and Direction. - To Be Equip With All Aspects Of Production And Direction I.E Pre Production And Post Production. - Upper age limit: 40 years - 3 To 5 years of experience In Camera Operations, Direction, Editing And Post Production.	**44900/- प्रतिमाह**	**2**
18.	SOUND ENGINEER (ध्वनि अभियंता)	**Essential.** -POST GRADUATE DIPLOMA IN BROADCAST JOURNALISM/SOUND ENGINEERING -3 TO 5 YEAR EXPERIENCE AS SOUND RECORDER/ AUDIO MIXING	**35400/- प्रतिमाह**	**3**

19.	TRAINEE PRODUCES (प्रशिक्षु निर्माता)	**Essential.** -POST GRADUATE DIPLOMA IN PRODUCTION/TV JOURNALISM/JOURNALISM/FILM STUDY -2-3 YEAR EXPERIENCE IN PRODUCTION/ELECTRONIC MEDIA.	**21700/- प्रतिमाह**	**10**
20.	Senior Cameraman (वरीय कैमरामैन)	**Essential.** - Graduate Degree/PG Diploma in Mass Communication/production/from recognized university/institute. - Proficiency in Hindi and English language - Upper age limit: 40 yearsDesirable. - At least 6 years of experience of editing in regional or national or national news channel.	**44900/- प्रतिमाह**	**2**

21.	Cameraman (कैमरामैन)	**Essential.** - Graduate Degree from recognized university/institute. - Proficiency in Hindi and English language. - Upper age limit: 40 years - At least 3 years of experience of editing in regional or national or national news channel.	**21700/-प्रतिमाह**	**2**
22.	Makeup Artist (मेकअप कलाकार)	**Essential.** - Matriculation or equivalent from a recognized Board or Institution. - At least 1 years of experience as Make-up Artist in a television channel or other.	**19900/-प्रतिमाह**	**2**

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 79--500--24-2-2022 ।

10

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

आदेश

झारखण्ड विधान-सभा TV नियामवली-2021 के नियम-10(.2) के अनुसरण में JVS TV में भाग लेनेवाले संसाधन पुरुष और साधन सेवी को भुगतान किये जानेवाले सम्मान राशि निम्न प्रकार है :-

क्र0 सं0	संसाधन सेवी का वर्णन	सम्मान राशि
01.	**लब्ध प्रतिष्ठित संसाधन पुरुष-** → केन्द्रीय मंत्रिगण, लोकसभा अध्यक्ष, माननीय राज्यपाल, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वर्त्तमान/ निवर्त्तमान न्यायाधीश, महान्यायवादी एवं सम्मान स्तर के व्यक्तियों, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के लब्ध प्रतिष्ठित व्याख्याताओं के लिए। → राज्य के मंत्रिगण, विधान सभाध्यक्ष, मुख्य सचिव एवं समकक्ष स्तर के पदाधिकारी, लोक सेवा आयोग के सदस्य, माननीय उच्च न्यायालय के वर्त्तमान/ निवर्त्तमान न्यायाधीश, महाधिवक्ता आदि के लिए। → नोबेल एवं पदम पुरस्कार से सम्मानित।	5000/- (Five Thousand)
02.	EMINENT EXPERT	2000/- (Two Thousand)
03.	ANCHORS	1500/- (One Thousand Five Hundred) Per Day
04.	SCRIPT WRITER	Upto 7 minutes-700/- (Seven Hundred) 7 to 15 minutes-1500/- (One Thousand Five Hundred)
05.	VOICE OVER	Upto 7 minutes-700/- (Seven Hundred) 7 to 15 minutes-1500/- (One Thousand Five Hundred)
06.	MULTITRACK MUSIC PACKAGE	1000/- (One Thousand) for 60 (Sixty) Second
07.	PROMINENT GUEST AND INTERVIEWERS	2000/- (Two Thousand) Per Programme
08.	LYRICS- EMINENT OTHERS	2000/- (Two Thousand) Per Song 1000/- (One Thousand) Per Song
09.	MUSIC DIRECTOR	2500/- (Two Thousand Five Hundred) Per Song
10.	SINGER	1500/- (One Thousand Five Hundred) Per Song
11.	TRANSLATOR	300 Words-300/- (Three Hundred) Above 300 Words-500/- (Five Hundred)

माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेश से,

14/3/2022

(रामनिवास दास)
संयुक्त सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

कृ0पृ0उ0/-

ज्ञापांक- JVS TV-04/2022-.........534.........-/वि0स0, राँची, दिनांक- 14/03/22

प्रतिः- समिति के माननीय संयोजक सहित समिति के सभी सदस्यों क्रमशः माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा, संयोजक/ श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, सदस्य, मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/ श्री नलिन सोरेन, स0वि0स0, सदस्य/ श्री केदार हजरा, स0वि0स0, सदस्य/ श्री निरल पुरती, स0वि0स0, सदस्य/ श्रीमती ममता देवी, स0वि0स0, सदस्या/ श्री रामनिवास दास, संयुक्त सचिव, सदस्य को सूचनार्थ प्रेषित।

14/3/2022

संयुक्त सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक- JVS TV-04/2022-.........534.........-/वि0स0, राँची, दिनांक- 14/03/22

प्रतिः- महालेखाकार, झारखण्ड, हिनू, राँची/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/3/2022

संयुक्त सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक- JVS TV-04/2022-.........534.........-/वि0स0, राँची, दिनांक- 14/03/22

प्रतिः- लेखा शाखा/ बजट शाखा/ स्थापन शाखा/ जनसम्पर्क शाखा/ नोडल पदाधिकारी, JVS TV/ अपर सचिव/ सभी संयुक्त सचिव/ सभी उप सचिव एवं सभी अवर सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

14/3/2022

संयुक्त सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक- JVS TV-04/2022-.........534.........-/वि0स0, राँची, दिनांक- 14/03/22

प्रतिः- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची/ नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, झारखण्ड विधान-सभा, राँची को आगामी ई-गजट में प्रकाशनार्थ सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 200 प्रतियाँ सभा सचिवालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

14/3/2022

संयुक्त सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

एकका/-

14/03